



भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित)
प्रधान कार्यालय : सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के एकल वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़)

विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
	समीक्षित	लेखा परीक्षित	समीक्षित	लेखा परीक्षित
1. अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ)	9,155	8,835	6,504	31,310
(क) अप्रिमो/बिलों पर ब्याज/बट्टा	8,021	7,814	5,801	27,182
(ख) निवेशों पर आय	586	568	345	1,974
(ग) भा.रि.बैंक में अतिशेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	548	453	358	2,154
(घ) अन्य	-	-	-	-
2. अन्य आय	133	185	96	632
3. कुल आय (1+2)	9,288	9,020	6,600	31,942
4. ब्याज व्यय	6,832	6,532	4,761	22,881
5. परिचालन व्यय (i)+(ii)	278	530	218	1,366
(i) कर्मचारी लागत	177	301	147	828
(ii) अन्य परिचालन व्यय	101	229	71	538
6. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (4+5)	7,110	7,062	4,979	24,247
7. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय से पूर्व परिचालन लाभ (3-6)	2,178	1,958	1,621	7,695
8. प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय [पुनरांकन पश्चात निवल]	2	1,469	62	1906
9. असाधारण मदें @		-	(500)	(500)
10. सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ (+) / हानि (-) (7-8+9)	2,176	489	1,059	5,290
11. कर संबंधी व्यय [आस्थगित कर आस्ति/देयता समायोजन पश्चात् निवल]	541	87	267	1,263
12. सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात निवल लाभ(+) / हानि(-) (10-11)	1,635	402	792	4,026
13. असाधारण मदें (कर व्यय घटाकर)	-	-	-	-
14. अवधि का निवल लाभ (+) / हानि (-) (12-13)	1,635	402	792	4,026
15. चुकता ईक्विटी शेयर पूँजी (अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर)	569	569	569	569
16. आरक्षितियाँ पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर	32,465	30,831	27,727	30,831
17. विश्लेषणात्मक अनुपात				
(i) भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत	20.85%	20.85%	20.85%	20.85%
(ii) पूँजी पर्याप्तता अनुपात				
a) बेसल I	NA	15.94%	15.63%	15.94%
b) बेसल III	19.16%	NA	NA	NA
(iii) प्रति शेयर आय (मूल और अवमिश्रित) (ईपीएस)	28.75#	7.08#	13.93#	70.82
(iv) गैर निष्पादक आस्ति अनुपात				
a) गैर-निष्पादक आस्ति की सकल राशि	136	100	70	100
b) गैर-निष्पादक आस्ति की निवल राशि	0	0	40	0
c) सकल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.03	0.02	0.02	0.02
d) निवल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.00	0.00	0.01	0.00
(v) आस्तियों पर प्रतिफल (कर पश्चात) (वार्षिकीकृत)	1.27%	0.32%	0.77%	0.87%
(vi) निवल मालियत	30,627	28,900	25,630	28,900
(vii) बकाया मोचनीय अधिमान शेयर	-	-	-	-
(viii) पूँजी मोचन आरक्षिती	-	-	-	-
(ix) डिबेंचर मोचन आरक्षिती	-	-	-	-
(x) परिचालन सीमा	23.45%	21.71%	16.98%	24.09%
(xi) निवल लाभ सीमा	17.60%	4.46%	12.00%	12.61%
(xii) ऋण - ईक्विटी अनुपात *	8.65	9.36	9.64	9.36

(xiii) कुल आस्तियों के लिए कुल ऋण (%) *	50.90	51.78	54.59	51.78
---	-------	-------	-------	-------

NA= लागू नहीं

अ-वार्षिकीकृत

* ऋण (जमा को छोड़कर) कुल उधार को दर्शाता है

@ इसमें सीजीटीएमएसई को दिया गया ₹500 करोड़ का योगदान शामिल है

टिप्पणियाँ:

- 1) बैंक इन वित्तीय परिणामों को तैयार करने में उन्हीं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का अनुपालन कर रहा है, जैसा कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सभी मुख्य मामलों में वार्षिक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए किया गया था।
- 2) निदेशक मंडल द्वारा 13 अगस्त, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त परिणाम समीक्षित किए गए हैं।
- 3) 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के आंकड़े वित्त वर्ष 2023-24 के संबंध में लेखा परीक्षित आंकड़ों और 31 दिसंबर, 2023 तक प्रकाशित वर्ष के आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं।
- 4) 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम गैर-निष्पादित आस्तियों, मानक आस्तियों, अचल संपत्तियों पर मूल्यहास, छूट के परिशोधन, निवेश पर आय /बांड जारी करने से संबंधित खर्चों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर निवेश मूल्यहास के प्रावधानों पर विचार करने के उपरांत तैयार किए गए हैं। आयकर, आस्थगित कर और अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान जिनमें कर्मचारी लाभ शामिल हैं, आवश्यकतानुरूप और वर्षांत पर समायोजन के अधीन अनुमानित/आनुपातिक आधार पर किए गए हैं।
- 5) 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित त्वरित प्रावधान नीति के अनुसरण में, आईआरएसी मानदंडों के तहत न्यूनतम निर्धारित दरों से अधिक दरों पर मानक अग्रिमों से संबंधित एक अतिरिक्त प्रावधान किया है। तदनुसार, बैंक ने 30 जून, 2024 तक ₹1,593 करोड़ रुपये के मानक अग्रिमों (पुनर्संचित खाते सहित) पर अतिरिक्त प्रावधान अवधारित किए हैं।
- 6) ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 24 सितंबर, 2021 के मास्टर निर्देश के अनुरूप 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान हस्तांतरित/ अधिग्रहित किए गए ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:
ऋणों का हस्तांतरण :
i) हस्तांतरित गैर-निष्पादित आस्तियों के विवरण:

(₹ करोड़)

विवरण	आस्ति वसूली कंपनियों को	अनुमन्य हस्तांतरितियों को	अन्य हस्तांतरितियों को
खातों की संख्या	1	-	-
अंतरित ऋणों का सकल मूलधन बकाया	39.49	-	-
हस्तांतरित ऋणों की भारत औसत शेष अवधि	लागू नहीं	-	-
अंतरित ऋणों का निवल बही-मूल्य (अंतरण के समय)	0	-	-
सकल प्रतिफल	9.25	-	-
पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों से प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	0	-	-

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान, प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में कोई निवेश नहीं किया गया। धारित सभी प्रतिभूति रसीदों के लिए प्रावधान किए जाते हैं और इसलिए निवल बही मूल्य शून्य है। दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में प्रत्यावर्तित अतिरिक्त प्रावधान शून्य रहे।

- ii) बैंक ने किसी भी ऐसे ऋण का हस्तांतरण नहीं किया है, जो चूकग्रस्त / विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) नहीं है।

ऋण का अधिग्रहण :

- iii) बैंक ने किसी दबावग्रस्त ऋण का अधिग्रहण नहीं किया है।

- iv) समनुदेशन के माध्यम से 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान, अधिगृहीत गैर-चूक संबंधी ऋणों के विवरण निम्नवत हैं:

निम्नवत हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	2024-25 (पहली तिमाही)	2023-24
अधिगृहीत ऋणों की सकल राशि (₹ करोड़ में)	103.55	48.94
भारत औसत शेष परिपक्वता (माह सं.)	113.82	106.84
प्रवर्तक द्वारा भारत औसत धारिता की अवधि (माह सं.)	8.01	13.31
प्रवर्तक द्वारा लाभप्रद आर्थिक हित का प्रतिधारण	20%	20%
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	245.17%	266.45%
रेटेड ऋणों का रेटिंग-वार वितरण	लागू नहीं	लागू नहीं

- 7) निवल अनर्जक आस्तियों के परिकलन के लिए चल प्रावधान को विचार में नहीं लिया गया है।

- 8) पिछली अवधि के आँकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- 9) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15 मई, 2019 के पत्र के अनुसार, अगली सूचना तक एआईएफआई के लिए आईएनडी-एस का कार्यान्वयन आस्थगित कर दिया गया है।
- 10) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 19 दिसंबर, 2023 के परिपत्र सं आरबीआई/2023-24/90 डीओआर. एसटीआर. आरईसी.58/21.04.048/2023-24 - वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफआई) में निवेश और उसके पश्चात् दिनांक 27 मार्च, 2024 के परिपत्र सं आरबीआई/2023-24/140 डीओआर. एसटीआर. आरईसी. 85/21.04.048/2023-24 के माध्यम से जारी स्पष्टीकरण के क्रम में बैंक ने तत्संबंधी प्रभाव का आकलन किया है और ऐसे मामलों में 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान रु.87 करोड़ के प्रावधान किए हैं।
- 11) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 सितंबर, 2023 के परिपत्र सं आरबीआई/डीओआर/2023-24/105 डीओआर.एफआईएन.आरईसी.40/01.02.000/2023-24 के अनुसार, एआईएफआई को 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही से बेसल III पूंजी विनियमों के अंतर्गत प्रयोज्य स्तंभ 3 के प्रकटीकरण का उल्लेख आवश्यक है। तदनुसार, पिछली अवधि के समरूपी ब्यौरे प्रयोज्य नहीं हैं। बेसल III पूंजी विनियमों के अंतर्गत स्तंभ 3 के प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.sidbi.in पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन प्रकटीकरणों की सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा नहीं की गई है।
- 12) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उपर्युक्त परिणामों की सीमित समीक्षा की गई है।

निदेशक मंडल के आदेश से

दिनांक : 13 अगस्त, 2024
स्थान : मुंबई

ह/-
[मनोज मित्तल]
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक



- SIDBIOfficial

कृपया हमारी वेबसाइट : www.sidbi.in देखें।



@sidbiofficial